

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 15, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

क्र. ई-1-399-2019-5-एक.—श्री राहुल जैन, भाप्रसे (2005), संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सेवाएं श्री प्रहलाद सिंह पटेल, केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली के निज सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा राज्यमंत्री जी के कार्यकाल अवधि के को-टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री जैन राज्यमंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, तक

के लिए भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.

क्र. ई-1-399-2019-5-एक.—श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई-1-434-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए

गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती ऊषा परमार, (2011) अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
2	सुश्री सलोनी सिडाना (2014), अपर कलेक्टर, जिला भोपाल.	अपर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. ई-1-429-2019-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2019 की कण्डिका 1 जिसके द्वारा श्री नीतेश कुमार व्यास, भाप्रसे (1996) आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर पदस्थ किया गया है, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-1-437-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पी. नरहरि (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त जनसंपर्क तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग.	—

क्र. ई-1-436-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री डी. पी. आहूजा (1996), आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर.	आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.
2	श्री राघवेंद्र कुमार सिंह (1997) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.	आयुक्त, वाणिज्यिक इन्दौर.

क्र. ई-1-437-2019-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02 नवम्बर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 1 पर अंकित श्री पी. नरहरि, भाप्रसे (2001) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा आयुक्त, जनसंपर्क तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास (अतिरिक्त प्रभार) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग पदस्थ किया गया है, को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(1)	(2)	(3)	(4)
2	श्री विकास नरवाल (2008) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	संचालक जनसंपर्क, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक, संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री चंद्रमौली शुक्ला (2011) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-विशेष परियोजनाएं.	प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री कुमार पुरुषोत्तम (2012), प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई-1-438-2019-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव (2001), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय.	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.	—
2	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह (2007), अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल तथा आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश (अतिरिक्त प्रभार).	संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार).	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
3	श्री अनय द्विवेदी (2010), अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर.	प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक मण्डी, मध्यप्रदेश.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

(2) उपरोक्तानुसार श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) उपरोक्तानुसार श्री अनय द्विवेदी द्वारा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक मण्डी, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक कुमार वर्मा, भाप्रसे (2004) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भोपाल तथा प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त मण्डी, मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई-5-774-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजीत कुमार, आयएएस., आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2019 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ 21, 22 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का प्रभार श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे, कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजीत कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अजीत कुमार, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शशांक मिश्रा, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अजीत कुमार, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजीत कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1037-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष तिवारी, आयएएस., अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कोलारस जिला शिवपुरी को दिनांक 6 से 13 दिसम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष तिवारी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कोलारस, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष तिवारी, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष तिवारी, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. ई-1-442-2019-5-एक.— श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे (2009), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग भी घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-523-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को दिनांक 11 से 18 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 09 एवं 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे, विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती गौरी सिंह, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-768-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएएस., आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 18 से 25 नवम्बर 2019 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2019 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मुँरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुँरैना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुँरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस द्वारा कलेक्टर, जिला मुँरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-1045-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे (2016) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला सागर को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 15 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश (जिसमें दिनांक 23 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश न्यूजीलेण्ड यात्रा पर जाने हेतु सम्मिलित है) स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीना, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. ई-1-437-2019-5-एक.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2019 की तालिका के सरल क्रमांक 2, 3 एवं 4 पर उल्लेखित भाप्रसे अधिकारियों क्रमशः श्री विकास नरवाल (2008), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर को संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश तथा कार्यपालक संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम, श्री चंद्रमौली शुक्ला (2011), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-विशेष परियोजनाएं को प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर तथा श्री कुमार पुरूषोत्तम

(2012) प्रबंध संचालक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर के पद पर किए गए स्थानांतरण को राज्य शासन एतद्वारा निरस्त करता है। उक्त अधिकारी पूर्ववत् अपने पद पर यथावत् पदस्थ रहेंगे।

क्र. ई-1-445-2019-5-एक.—भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017-35-2019-AIS (I), दिनांक 1 नवम्बर 2019 द्वारा श्री प्रतीक हजेला, भाप्रसे (ए.एम. 1995) को भाप्रसे के असम मेघालय संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्ष के लिए सेवाएं सौंपी गई हैं, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री प्रतीक हजेला द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती छवि भारद्वाज, भाप्रसे (2008) मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) तथा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-1-446-2019-5-एक.—श्री नरेश पाल कुमार, भाप्रसे (2002) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री नरेश पाल कुमार द्वारा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक, अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2019 एवं दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती रश्मि अरूण शर्मा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-900-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएस., आयुक्त, सागर संभाग, सागर को दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। (जिसमें दिनांक 24 से 28 नवम्बर 2019 तक, चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश निजी यात्रा पर दुबई भ्रमण सम्मिलित है) स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री आनन्द कुमार शर्मा, भाप्रसे की अवकाश अवधि में आयुक्त, सागर संभाग, सागर का प्रभार श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, सागर संभाग सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आनन्द कुमार शर्मा, भाप्रसे द्वारा आयुक्त, सागर संभाग सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रीति मैथिल, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-926-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, आयएस., कलेक्टर, जिला उमरिया को दिनांक 14 से 30 नवम्बर 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 दिसम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला उमरिया का प्रभार श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला उमरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला उमरिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-942-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री डी. व्ही. सिंह, आयएस., (2005), सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 2 से 11 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश एवं दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2019 तक आठ दिन का नवीन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. व्ही. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न, सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री डी. व्ही. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. व्ही. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-612-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएस., प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2019 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 नवम्बर 2019 एवं 24 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री मनु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनके कार्य का प्रभार डॉ. राजेश कुमार राजौरा, प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनु श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश कुमार राजौरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1017-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मृणाल मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, निरस्त करते हुए, अब उन्हें दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2019 तक, तेरह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मृणाल मीना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मृणाल मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मृणाल मीना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-1036-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. सलोनी सिडाना, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2019 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. सलोनी सिडाना को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. सलोनी सिडाना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. सलोनी सिडाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-1019-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, (2015) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 एवं 27 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अर्पित वर्मा, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1030-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दिलीप कुमार, आयएएस., कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री दिलीप कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कार्यपालक संचालक, राज्य खनिज निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री दिलीप कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दिलीप कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-913-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री हरजिंदर सिंह, परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को दिनांक 30 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 09, 10 नवम्बर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरजिंदर सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री हरजिंदर सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरजिंदर सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-867-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 7 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2019 तक, पांच दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश दिनांक 19, 20 अक्टूबर 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश, दिनांक 7 अक्टूबर 2019 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

क्र. ई-5-986-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री ऋजु बाफना, आयएएस., तत्कालीन अपर कलेक्टर, जिला-सिंगरौली (वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना) को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर से 8 नवम्बर 2019 तक, उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2019

क्र. ई-5-963-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती रजनी सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 13 से 22 नवम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी सिंह, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-1028-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनोज खत्री, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल को दिनांक 20 से 30 नवम्बर 2019 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री मनोज खत्री, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे, सदस्य-सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग, भोपाल तथा आयुक्त, रेशम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज खत्री, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मनोज खत्री, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कवीन्द्र कियावत, भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मनोज खत्री, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

ई-5-1051-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमेश कुमार, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2019 द्वारा दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2019 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2019 तक, छः दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उमेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीप्ति गौड़ मुकजी, प्रमुख सचिव (कार्मिक).

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2019

क्र. 1534-114-2019-एक-दस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2019 तक, चार दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटन, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

क्र. बी-1-52-2019-2-एक.—श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव, राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर, उपायुक्त (राजस्व) सागर, संभाग सागर ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया है कि वर्ष 2019 की स्थिति में जारी रा.प्र.से. की पदक्रम सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में “वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के दिनांक को रिक्त” दर्शाया गया है, जबकि विभाग के आदेश क्रमांक बी-1-04-2015-2-एक, दिनांक 7 जून 2017 द्वारा उन्हें वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 से प्रदान की गई है. अतएव उन्होंने वरिष्ठता सूची वर्ष 2019 में अंकित उनके नाम के सामने के कालम-6 में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 का उल्लेख करने का अनुरोध किया है.

(2) प्रकरण के परीक्षणोंपरान्त पाया गया कि श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव दिनांक 4 अक्टूबर 2015 से वरीष्ठ वेतनमान में नियुक्त हुई है. अतएव राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव, राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर उपायुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, वरिष्ठता सूची वर्ष 2019 में उनका नाम के सामने कालम-6 में वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति दिनांक 4 अक्टूबर 2015 अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) उपरोक्तानुसार प्रविष्टि श्रीमती प्रभा श्रीवास्तव राप्रसे (पी-2009) संयुक्त कलेक्टर, उपायुक्त (राजस्व) सागर संभाग, सागर के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश सक्सेना, अवर सचिव “कार्मिक”.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6030-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट युनिवर्सिटी भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर उच्च न्यायिक सेवा की अधिकारी कुमारी नीता गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कन्नोद, जिला देवास की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल को सौंपता है.

फा. क्र. 5969-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 135).—राज्य शासन, श्री अंशुल चन्द्रा पुत्र श्री प्रकाश चन्द्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला विदिशा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 2 अक्टूबर, 1988 है.

फा. क्र. 6031-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 94).—राज्य शासन श्री राजेश अंशोरिया पुत्र श्री प्रभुलाल अंशोरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 10 दिसम्बर, 1983 है.

फा. क्र. 6098-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 115).—राज्य शासन श्री मानवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री हरि कृष्ण यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 5 दिसम्बर, 1985 है.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6112-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 32).—राज्य शासन, श्री कुलदीप नामदेव पुत्र श्री जगदम्बा प्रसाद नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झांसी (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 7 जुलाई, 1993 है.

फा. क्र. 6099-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 17).— राज्य शासन श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री रामजी लाल श्रीवास्तव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सिद्धार्थ नगर (उत्तरप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1986 है।

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6001-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 112).— राज्य शासन श्री श्रीकृष्ण बरार पुत्र श्री तोड़न बरार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला छतरपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई, 1994 है।

फा. क्र. 6168-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 113).— राज्य शासन श्री दिलीप माहोर पुत्र श्री महेन्द्र कुमार माहोर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 10 अक्टूबर, 1993 है।

फा. क्र. 6227-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 57).— राज्य शासन सुश्री एकता ठाकुर पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला बैतूल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 15 जनवरी, 1991 है।

फा. क्र. 6007-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 37).— राज्य शासन श्रीमती ऋचा शर्मा पत्नी श्री विवेक मोहन शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 05 जनवरी, 1985 है।

फा. क्र. 5423-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 49).— राज्य शासन श्री हर्ष वर्धन धाकड़ पुत्र श्री रतीराम धाकड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 फरवरी, 1996 है।

फा. क्र. 5385-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 33).— राज्य शासन श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री प्रभुदयाल शर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1995 है।

फा. क्र. 6194-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 75).— राज्य शासन सुश्री सिल्की कौर जुनेजा पुत्री श्री भुपिन्दर सिंह जुनेजा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई, 1991 है।

फा. क्र. 5606-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 63).— राज्य शासन श्री कृपाल वर्मा पुत्र श्री आलोक कुमार वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 21 सितम्बर, 1993 है।

फा. क्र. 5453-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 80).— राज्य शासन सुश्री आफरीन युसुफजई पुत्री श्री इसरार अहमद युसुफजई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 28 मार्च, 1987 है।

फा. क्र. 6153-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 97).— राज्य शासन श्री बलराम मीणा पुत्र श्री मोहन लाल मीणा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला श्योपुर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 06 अगस्त, 1988 है।

शुद्धि-पत्र

फाईल क्र. 3 (ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 5101.— श्री राहुल सिंह पुत्र श्री कनिष्क कुमार सिंह को जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति संबंधी इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2019 के द्वितीय पैरा में अंकित “यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में दिये गये आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 के पालन में इस रिट याचिका में पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय/आदेश के अध्याधीन रहेगा के स्थान पर “यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8517-2018 में पारित आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2018 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा W.P. (S.) 1049/2018 (राहुल सिंह बनाम मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 22 अप्रैल 2019 के अध्याधीन है। पढ़ा जावे।

फा. क्र. 6201-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 147).— राज्य शासन सुश्री स्वाति कौशल पुत्री श्री मनोहर जी कौशल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 29 सितम्बर, 1986 है।

फा. क्र. 6271-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 139).— राज्य शासन श्री रवि तवरं पुत्र श्री ओमप्रकाश तवरं को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 04 मई 1991 है।

फा. क्र. 6275-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 116).— राज्य शासन सुश्री ऋचा भट्ट पुत्री श्री देवेन्द्र भट्ट को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई 1992 है।

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2019

फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब (एक)-5889-2019.— भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर 2009 में जो मध्यप्रदेश राज्यपत्र भाग-एक में, दिनांक 6 नवम्बर 2009 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 25 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएं अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/अपर सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“25-ए.	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, कटनी.	कटनी”

F-No.1-1-88-XXI-B(1)-5889-2019.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October, 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 6th November, 2009, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, after serial number 25 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

TABLE

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
"25-A.	1st Additional Sessions Judge, Katni.	Katni."

फा. क्र. 6290-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिल कुमार निझावन, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छतरपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज), छतरपुर का त्याग-पत्र उनके आवेदन दिनांक 18 नवम्बर 2019 दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 6155-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 09).—राज्य शासन श्री केशव कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बदायूँ (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 12 सितम्बर, 1990 है.

फा. क्र. 6246-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 40).—राज्य शासन सुश्री स्वाती गोयल पुत्री श्री योगेश गोयल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देहरादून (उत्तराखण्ड) है. उसकी जन्मतिथि 23 दिसम्बर 1992 है.

फा. क्र. 6248-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 146).—राज्य शासन सुश्री सोनाली वर्मा पुत्री स्व. श्री चेतन वर्मा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 8 सितम्बर 1996 है.

फा. क्र. 6253-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 123).—राज्य शासन सुश्री सृष्टि चौरसिया पुत्री श्री रमार्शंकर चौरसिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 9 मार्च 1992 है.

फा. क्र. 6289-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 121).—राज्य शासन श्री संदीप कुमार नामदेव पुत्र श्री मुन्नालाल नामदेव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सतना (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 02 जुलाई 1993 है.

फा. क्र. 6307-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 133).—राज्य शासन श्री जयदीप मौर्य पुत्र श्री दीपेन्द्र मौर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 17 सितम्बर 1996 है.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

फा. क्र. 6349-2019-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, एतद्द्वारा न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री युगल रघुवंशी, तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु कार्यालय, कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से, उप कल्याण आयुक्त के पद पर आगामी आदेश होने तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यालय कल्याण आयुक्त भोपाल गैस पीड़ित भोपाल को सौंपता है.

फा. क्र. 5996-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 72).—राज्य शासन सुश्री सौम्या सिंह पुत्री श्री जितेन्द्र सिंह देशवाल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला शामली (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 21 दिसम्बर 1993 है.

फा. क्र. 6313-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 61).—राज्य शासन श्री नितिनन्द्र सिंह पुत्र श्री सत्येन्द्र सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला हरदोई (उत्तरप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 जुलाई 1992 है.

फा. क्र. 6344-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 100).—राज्य शासन सुश्री प्रीति परिहार पुत्री श्री कैलाश नारायण परिहार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 02 मार्च 1997 है.

फा. क्र. 6345-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 108).—राज्य शासन सुश्री मोनिका यादव पुत्री श्री रामजीशरण सिंह यादव को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 20 जनवरी 1993 है.

फा. क्र. 6346-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 148).—राज्य शासन श्री अमित वास्केल पुत्र स्व. श्री गणेश चन्द्र वास्केल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 23 मार्च 1992 है.

फा. क्र. 6347-2019-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक 114).—राज्य शासन श्रीमती नेहा ठाकुर पत्नी श्री नीलेश ठाकुर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 15 दिसम्बर 1993 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2019

अधि. क्र. 29-एफ-1-38-2019-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् आलोट, जिला रतलाम में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगर परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	रतलाम	1	आलोट	1	श्री सुमित व्यास पिता श्री दारूलाल व्यास, निवासी विक्रमगढ़ तहसील आलोट, जिला रतलाम.
				2	श्री मनीष पांचाल पिता श्री संतोष पांचाल निवासी कुम्हारपुरा आलोट जिला रतलाम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

सूचना

क्र. एफ-3-36-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 1201-48-टीसी-छतरपुर-उपां-नग्रानि-2018, दिनांक 28 फरवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बगौता	1966,	0.555	कृषि	आवासीय (प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु).
	तहसील छतरपुर	1967,	0.983		
	जिला-छतरपुर	1968,	3.251		
		1969,	0.825		
		1983,	1.639		
		1997/2	2.282		
		योग	9.535 हेक्टेयर		

उपरोक्त उपांतरण छतरपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्र. एफ-3-21-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3822-04-उपां-टीसी-सागर-2016, दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कनेरादेव तहसील सागर, जिला सागर.	65	9.264	आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा कृषि.	आवासीय, आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए).
		66/2	0.235	आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, प्रस्तावित 90.00 मीटर बायपास मार्ग.	आवासीय, “आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी” एवं प्रस्तावित 90.00 मीटर चौड़ा मार्ग (बायपास) (प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए).

योग . . 9.499

शर्तें :-1. भू-उपयोग “आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत पर्यावरण वानिकी” एवं मार्ग में परिवर्तन मान्य नहीं होगा.

2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-42-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 3298-39-उपां-टीसी-नग्राणि-2018, दिनांक 7 जून 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित दमोह विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दमोह खास	1398/1	5.504 में से 5.280	आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं खेल मैदान एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना).
		1398/2	8.171 में से 6.80	आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत प्रस्तावित उद्यान एवं खेल मैदान तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग.	आवासीय एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना).

योग . . 12.08

उपरोक्त उपांतरण दमोह विकास योजना, 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-56-2019-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 298-टीसी-69-शिवपुरी-उपां-नग्राणि-2018, दिनांक 16 जनवरी 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित शिवपुरी विकास योजना

2001 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नोहरी खुर्द शिवपुरी	462, 464 में से 465, में से 466, 467, 468, 471, 472, 473 492 में से	5.518 0.330 1.000 0.209 0.418 0.178 0.637 0.052 0.073 3.702	कृषि	आवासीय (प्रधानमंत्री आवासीय योजना हेतु).
योग			12.117 हेक्टेयर		

- शर्तें :— 1. ग्राम नोहरी खुर्द के खसरा क्रमांक 472 की भूमि में विद्यमान कुआँ योजना में यथावत रखा जाना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण शिवपुरी विकास योजना, 2001 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्र. एफ-5-12-2019-जस-चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि राशि रुपये 7000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रुपये 10,000/- प्रतिमाह तथा श्रद्धानिधि का नाम परिवर्तित कर सम्मान निधि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. नम्बर 375/555/13-5/19, दिनांक 28 सितम्बर 2019 द्वारा दी गई सहमति के तहत जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. चौधरी, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 8 नवम्बर 2019

क्र. 1823.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील मोहनखेड, जिला छिन्दवाड़ा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नम्बर एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)

(1)

ग्राम डोडिया, प. ह. नं. 10 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल—571.071 हेक्टेयर.

राजस्व ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.

(2)

ग्राम—रिजिढाना, प.ह.नं. 10

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013

क्रमांक-भू-अर्जन-2019-138-139-01-अ-82-16-17

शाजापुर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा - 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रयोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा।

अनुसूची (01)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	शाजापुर	झोकर	निजी भूमि 1.391 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर	बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालपुरा, हनोती, झोकर, जलालपुरा (ए.बी. रोड़) तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण करने के संबंध में।

अनुसूची (01)

(1) बर्डियासोन रेल्वे गेट से पलसावद, लालपुरा, हनोती, झोकर, जलालपुरा ए.बी.रोड़ तक मार्ग निर्माण में आ रही ग्राम झोकर की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण हेतु।

स. कं.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई बेवा बलदेवसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	2132/3	0.084	0.000	0.084	0.084	0.000	0.084
2	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/4	0.021	0.000	0.021	0.021	0.000	0.021
3	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/7	0.042	0.000	0.042	0.042	0.000	0.042
4	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/8	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
5	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/9	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052	0.052
6	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/10	0.000	0.157	0.157	0.000	0.157	0.157
7	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/11	0.000	0.063	0.063	0.000	0.063	0.063
8	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/12	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
9	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/13/1	0.105	0.000	0.105	0.105	0.000	0.105
10	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/13/2	0.178	0.000	0.178	0.178	0.000	0.178
11	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/14	0.063	0.000	0.063	0.063	0.000	0.063
12	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/15	0.063	0.000	0.063	0.063	0.000	0.063

स. कं.	कृषक का नाम पिता/पति का नाम	सर्वे क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोवर्धनलाल हिस्सा 1/3, रामचरण पिता बलदेवसिंह हिस्सा 1/3, व घीसीबाई पति श्रीराम हिस्सा 1/3 जाति खाती निवासी ग्राम	2132/17	0.052	0.000	0.052	0.052	0.000	0.052
14	बंसतीलाल पिता छोगमल जाति खाती निवासी ग्राम	2132/21/1	0.013	0.000	0.013	0.013	0.000	0.013
15	ओमप्रकाश पिता छोगमल जाति खाती निवासी ग्राम	2132/21/2	0.013	0.000	0.013	0.013	0.000	0.013
16	राजमल पिता गौरीशंकर व सुमनबाई वि. गौरीशंकर जाति खाती निवासी ग्राम	2132/21/3	0.013	0.000	0.013	0.013	0.000	0.013
17	मुकेश पिता जगदीशचन्द्र जाति खाती निवासी ग्राम	2132/21/4	0.013	0.000	0.013	0.013	0.000	0.013
18	रमेशचन्द्र, तेजसिंह, महेशचन्द्र पिता गोस्वधनलाल 1/3, रामचन्द्र पिता बलदेवसिंह 1/3, व घीसीबाई वि. बलदेवसिंह जाति खाती निवासी ग्राम	2132/22	0.136	0.000	0.136	0.136	0.000	0.136
19	भगवतीबाई पति अनोखीलाल नि.ग्राम	2147/मिन-1	0.595	0.000	0.595	0.017	0.000	0.017
20	द्रोपतीबाई पति शिवनारायण नि.ग्राम	2147/गिन-2	0.595	0.000	0.595	0.017	0.000	0.017
21	शारदाबाई पति ओमप्रकाश नि.ग्राम	2147/मिन-3	0.597	0.000	0.597	0.018	0.000	0.018
22	शांताबाई पति दयाराम, कलाबाई पति राधेश्याम, रामकन्याबाई वति कैलाशचन्द्र, राधाबाई उर्फ गौरीबाई पति गोपाल जाति बलाई नि.ग्राम	2157/1/1	0.093	0.000	0.093	0.031	0.000	0.031
23	सुमनबाई पति विष्णु जाति बलाई नि.ग्राम	2157/1/2	0.089	0.00	0.089	0.010	0.000	0.010
24	रमेशचन्द्र, मनोहरसिंह, श्रीराम पिता राचरण जाति खाती नि.ग्राम	2157/1/3	0.069	0.00	0.069	0.011	0.000	0.011
25	शांताबाई पति दयाराम, कलाबाई पति राधेश्याम, रामकन्याबाई पति कैलाशचन्द्र, राधाबाई उर्फ गौरीबाई पति गोपाल जाति बलाई नि.ग्राम	2162/2/1	0.063	0.00	0.063	0.031	0.000	0.031
26	रमेशचन्द्र, मनोहरसिंह, श्रीराम पिता राचरण जाति खाती नि.ग्राम	2162/1/1/मिन	0.064	0.000	0.064	0.031	0.000	0.031

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर (भू अर्जन अधिकारी शाजापुर) के कार्यालय में किया जाता सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्रसिंह रावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

भिण्ड, दिनांक 18 नवम्बर 2019

क्रमांक 11070-एसडब्ल्यू-भिण्ड-2019.—जिला भिण्ड में मध्यप्रदेश शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रं. एफ-2-(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के अनुपालन में जिले के भीतर स्वीकृत थाना-चौकी की सीमाओं के निर्धारण हेतु घटित समिति के समक्ष पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड के पत्र क्र. पु.अ.-भिण्ड-एसी-1-325-19, दिनांक 15 अक्टूबर 2019 एवं अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 95-ए-19, दिनांक 9 अक्टूबर 2019 के अनुसार थाना देहात भिण्ड अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड जिला स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम समाहित करते हुए नवीन पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड में सम्मिलित किये जाने हेतु अधिसूचना जारी की जाती है।

क्रमांक	पुलिस थाने का नाम जिससे अपवर्जित किया गया	ग्रामों/मोहल्लों के नाम जो सम्मिलित किये गये	नवीन पुलिस चौकी का नाम जिसमें ग्राम सम्मिलित किये गये
(1)	(2)	(3)	(4)
1	थाना देहात	अशोक नगर, बालाजी नगर, मातादीन का पुरा, श्रीकृष्ण नगर, द्वारिका नगर, सेवा का पुरा, धानुक पुरा, अत्रेय नगर, चन्दनपुरा, अम्बेडकर नगर, अवन्तीनगर, धरई बम्बा किनारा, छौलयाणा, वीरसेन फॉर्म, ओझा नगर, साकेत नगर, मिश्रन का पुरा, कबीर कॉलोनी, के. के. एम्पायर, बघेल बिहार, मुडियाखेडा, मिहोनी, सिमराव, कुरथरा, उदोतपुरा, उदोतपुरा की मढैया, अतरसुमा, जामपुरा, हरचन्द्र का पुरा, गढूपुरा, जवासा कछियाणा, देहरा, मुरलीपुरा, जगन्नाथ पुरा, बिहारीपुरा, डूडनपुरा, कल्याणपुरा, टीकरी, जारी, चौकी, बरकापुरा, धरई, वीरमपुरा, बक्शीपुरा, भुजपुरा, लहारपुरा, मूरतपुरा, पण्डापुरा (अख्यतारपुरा), लखनपुरा, बीसलपुरा.	रेलवे स्टेशन रोड भिण्ड

नवसृजित पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड के उपरोक्तानुसार कॉलम नं. (3) में वर्णित कुल 30 ग्राम थाना देहात से परिवर्तित कर सम्मिलित किये गये तथा पुलिस विनियम के भाग-4, विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक भिण्ड के कार्यालय में रखी गई है।

उक्त नवसृजित पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड भिण्ड अस्तित्व में आने से पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन रोड के संचालन एवं संपादन एवं कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्देश्यों हेतु कार्य प्रारंभ करने हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

छोटे सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 नवम्बर 2019

प्रकरण क्रमांक 01/अ-82-वर्ष 2018-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकार में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

(क)	जिला	-	पन्ना
(ख)	तहसील	-	अजयगढ़
(ग)	ग्राम	-	दिश्रामगंज
(घ)	क्षेत्रफल	-	8612.57 वर्ग मी० पर स्थित 134 गकान

क्र.	दावेदार का नाम, पिता/ यति का नाम एवं पता	खसरा. न०	गकान का प्रकार	गकान का क्षेत्रफल वर्ग मी. में	शासकीय भूमि की स्थिति
1	2	3	4		
1	परमलाल पिता किशोरी, राममनोहर पिता किशोरी कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	131/1	कमरा/दुगई खपरैल	96.60	शासकीय अन्य
2	बृजलाल पिता विशाली कोंदर, अखलेश पिता बृजलाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	136/1, 340	कमरा खपरैल	88.99	शासकीय कादिलकास्त सेवा भूमि
3	डंगी पिता गिल्ला कोंदर, पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	108	कमरा खपरैल	98.90	शासकीय अन्य बंजर
4	कल्ली यति छंगा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	108	कमरा खपरैल	29.92	शासकीय अन्य बंजर
5	वादे पिता गिल्ला कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	108	दुगई खपरैल	39.93	शासकीय अन्य बंजर

6	पूरन, प्रमोद, रामकृपाल पिता वादे कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	108	कमरा खपरैल	79.42	शासकीय अन्य बंजर
7	बद्रीप्रसाद, चतुरा पिता लक्ष्मण कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	108	कमरा/दुगई खपरैल	66.96	शासकीय अन्य बंजर
8	लक्ष्मण पिता कल्लू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	108	दुगई खपरैल	40.89	शासकीय अन्य बंजर
9	मिठाई लाल पिता बक्सुआ कोंदर, रामसेवक पिता मिठाईलाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	14	कमरा/दुगई खपरैल	72.99	सेवा भूमि
10	गोरैलाल पिता बक्सुआ कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	14	कमरा/दुगई खपरैल	119.28	सेवा भूमि
11	जीतलाल पिता बक्सुआ कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	14	कमरा/दुगई खपरैल	79.44	सेवा भूमि
12	गोविन्दा पिता यावू कोंदर, नरवद, दौलत पिता गोविंदा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	14	कमरा/दुगई खपरैल	110.60	सेवा भूमि
13	फुलिअ बवा काशी प्रसाद कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	77	कमरा खपरैल	38.42	शासकीय अन्य
14	बसन्ता पिता कल्लू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	36.19	शासकीय अन्य बंजर
15	रामबाई पत्नि रनमत कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	27	कमरा/दुगई खपरैल	84.87	पढाडी
16	द्वारका पिता पंचा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	28,169	कमरा/दुगई खपरैल	130.20	पढाडी
	मुगिया बेटा पंचा	28	कमरा/दुगई खपरैल	35.21	पढाडी
17	जगदीश पिता चंचा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	28	दुगई खपरैल	93.49	पढाडी
18	श्यामलाल पिता पंचा कोंदर, अशोक पिता श्यामलाल, सतीश पिता श्यामलाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	77	कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल	133.48	शासकीय अन्य
19	सरसन पिता शिवचरण कोंदर, शिवचरण पिता मोतीलाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	81.90	शासकीय अन्य बंजर
20	ठाकुरदीन पिता बाला प्रसाद कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल	88.87	शासकीय अन्य बंजर
21	बाला प्रसाद पिता लटोरा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल	63.31	शासकीय अन्य बंजर
22	रामप्रसाद पिता भूरा कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	77	कमरा/दुगई खपरैल	36.58	शासकीय अन्य

23	राजकुमारी पति हरवंश कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	77	कमरा/दुगई खपरैल	36.58	शासकीय अन्य
24	किशोर पिता शिवचरन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	77	कमरा/दुगई खपरैल	12.90	शासकीय अन्य
25	रामबहादुर पिता ईश्वरदीन कौंदर, कामता पिता ईश्वरदीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	77	कमरा खपरैल	15.60	शासकीय अन्य
26	रामप्रसाद पिता गयादीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	11.27	शासकीय अन्य बंजर
27	मोहन पिता कालकादीन	75	कमरा खपरैल	18.00	मटिया
	मुलिया पति कालकादीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	35.00	शासकीय अन्य बंजर
28	बेटालाल पिता गिल्ला, रमेश पिता बेटालाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	59.09	शासकीय अन्य बंजर
29	दुर्गा बेवा कुटुवा कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	22.26	शासकीय अन्य बंजर
30	पंचमलाल पिता कधीलाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	87.57	शासकीय अन्य बंजर
31	रामकुमार पिता पंचमलाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	69.11	शासकीय अन्य बंजर
32	महेश पिता मोहन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	12.68	शासकीय अन्य बंजर
33	प्यारीबाई बेवा देवीदयाल, सियाराम पिता देवीदयाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	67.03	शासकीय अन्य बंजर
34	गंदा बेवा ईश्वरदीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार / खपरैल	70.55	शासकीय अन्य बंजर
35	राजाराम पिता भरोसा कौंदर, गेटालाल पिता राजाराम कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार / खपरैल	55.68	शासकीय अन्य बंजर
36	लालमनी पिता राजाराम कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	30.55	शासकीय अन्य बंजर
37	हीरालाल पिता सुखलाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	42.44	शासकीय अन्य बंजर
38	चन्द्रपाल पिता मलखान कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	20.04	शासकीय अन्य बंजर
39	मलखान पिता कधी कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	8.26	शासकीय अन्य बंजर

40	रमलू पिता सजाराम कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार / खपरैल	42.44	शासकीय अन्य बंजर
41	लक्ष्मण पिता मलखान कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	47.40	शासकीय अन्य बंजर
42	रमू पिता मोहन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल	32.44	शासकीय अन्य बंजर
43	झल्लू पिता कालकादीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	41.25	शासकीय अन्य बंजर
44	शेषकुमार पिता झल्लू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा /अटारीदार /दुगई खपरैल	43.36	शासकीय अन्य बंजर
45	गणेश पिता झल्लू कौंदर कृपाल पिता मोहन पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/अटारीदार/दुगई खपरैल	27.10	शासकीय अन्य बंजर
46	भूरी पिता बल्लू टबू पिता बल्लू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	34.82	शासकीय अन्य बंजर
47	बल्लू पिता बल्लू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	16.09	शासकीय अन्य बंजर
48	उमेश पिता बल्लू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	42.00	शासकीय अन्य बंजर
49	लाला पिता बाला कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा खपरैल	34.65	शासकीय अन्य बंजर
50	लखनलाल पिता मंगल, प्रेमी पिता लखनलाल कौंदर, दुर्गा प्रसाद पिता नाना पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	95.78	शासकीय अन्य बंजर
51	परमलाल पिता नाना कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	43.17	शासकीय अन्य बंजर
52	बसंत पिता बादल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	86	कमरा/दुगई खपरैल	36.30	शासकीय अन्य बंजर
53	सुधीर कुमार पिता संतराम पाण्डेय पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	245/2	कमरा खपरैल	30.66	शासकीय स्कूल
54	मुनीर खां पिता दीदार खां पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	352	पत्थर पटिया	29.25	शासकीय रास्ता
55	चन्द्रशंकर पिता किशोरा कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	399	कमरा खपरैल	23.46	शासकीय चरनोई
56	राजकुमार पिता हरीलाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	399	पत्थर पटिया, कमरा/दुगई खपरैल	84.04	शासकीय चरनोई
57	रामकृपाल पिता हरीलाल कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	399	पत्थर पटिया, कमरा खपरैल	80.94	शासकीय चरनोई

58	हरीलाल पिता दुर्जन कौंदर, मनोज कुनार पिता हरीलाल कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	141.76	शासकीय चरनोई
59	घनश्याम पिता किशोर, डालचंद्र पिता किशोर कौंदर	399	कमरा/दुगई खपरैल, कमरा सीमेंट शीट	131.69	शासकीय चरनोई
60	रामकिशोर पिता गेंदूवा, अनारीलाल पिता गेंदूवा कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	54.45	शासकीय चरनोई
61	कृष्णकुमार, राजकुमार, धीरेन्द्र पिता देवीदीन कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	118.30	शासकीय चरनोई
62	रामगिलन पिता बडे कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	74.27	शासकीय चरनोई
63	रामआसरे पिता बडे कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	26.66	शासकीय चरनोई
64	छोटेलाल पिता बडे कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा खपरैल	11.61	शासकीय चरनोई
65	गरीबदास पिता करनजू कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	78.96	शासकीय चरनोई
66	मुन्नी बेदा बुद्ध कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	70.49	शासकीय चरनोई
67	रामदास पिता मरिया कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	45.84	शासकीय चरनोई
68	मुन्ना पिता मरिया कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	35.28	शासकीय चरनोई
69	कलावती बेवा लक्ष्मण कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399, 382	कमरा/दुगई खपरैल	43.05	शासकीय चरोखर शासकीय बंजर
70	सीताराम पिता बुद्ध कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	33.86	शासकीय चरनोई
71	स्वामीदीन पिता फुसुवा कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	44.16	शासकीय चरनोई
72	रामस्वरूप, चन्द्रपल, रामसुहावन पिता भगवानदास, हक्कीबाई पति भगवानदास पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	105.42	शासकीय चरनोई
73	सुकरतदीन पिता रज्जू मिजाजी पिता रज्जू कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	54.56	शासकीय चरनोई
74	सुम्मेरा पिता बसोरा कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	67.16	शासकीय चरनोई

75	लूटर पिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	45.75	शासकीय चरनोई
76	रामभिलन पिता रामचरन कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	31.90	शासकीय चरनोई
77	कामता पिता सांघू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	71.13	शासकीय चरनोई
78	रज्जू पिता पक्कू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	22.31	शासकीय चरनोई
79	बबलू पिता रामआसरे कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	कमरा/दुगई खपरैल	64.66	शासकीय चरनोई
80	जुम्भू पिता छन्नू खों पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	पत्थर पटिया कमरा खपरैल	22.93	शासकीय चरनोई
81	जीवलाल पिता सरियां कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	399	पत्थर पटिया कमरा कमरा अटारीदार/दुगई खपरैल	75.41	शासकीय चरनोई
82	लखनलाल पिता जीवलाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा खपरैल	4.42	शासकीय रास्ता
83	हीरालाल पिता दुर्लाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा/दुगई खपरैल	46.57	शासकीय रास्ता
84	सुरतदीन पिता छोटेलाल कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352, 341	कमरा/दुगई खपरैल	93.33	शासकीय अन्य शासकीय रास्ता
85	शिवराम पिता सौखीलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	42.12	सेवा भूमि
86	दादू उर्फ रामप्रसाद पिता गयादीन कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	25.20	सेवा भूमि
87	पूरन पिता घासीराम कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	32.94	सेवा भूमि
88	रामसनेही पिता लक्ष्मण कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	42.50	सेवा भूमि
89	नृजेश पिता झल्लू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	31.20	सेवा भूमि
90	शंकर पिता रामभिलन कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	पत्थर पटिया कमरा	49.42	सेवा भूमि
91	माया बेबा झल्लू कोंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	340	कमरा खपरैल	36.50	सेवा भूमि
92	सुनेना पति लखनलाल, सुनील कुमार सुशील कुमार पिता लखनलाल वर्ग पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	349, 340	पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल	116.93	सेवा भूमि

93	पक्कू पिता हजारी, कल्लू पिता पक्कू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	94.18	सेवा भूमि
94	राजेश पिता पक्कू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	21.12	सेवा भूमि
95	आशाराम पिता हजारी कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	105.07	सेवा भूमि
96	नन्हे पिता पचा कौंदर, रतन नत्थू, लखन, विनोद पिता नन्हे कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	48	कमरा/दुगई खपरैल	112.92	शासकीय सेवा भूमि
97	मेवालाल पिता मुन्नीलाल अहिरवार पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	340	पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल	100.91	सेवा भूमि
98	मुन्नीलाल पिता बंशू अहिरवार पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	340	कमरा/दुगई खपरैल	64.50	सेवा भूमि
99	बुधिया देवा सद्दू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल	55.51	शासकीय चरनोई
100	ठाकुरदीन पिता लच्छू रजौत पिता ठाकुरदीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल	113.24	शासकीय चरनोई
101	करिया पिता रामप्रसाद पाल, राजाभैया पिता करिया पाल पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल	184.27	शासकीय चरनोई
102	देवीदीन, लखनलाल, दयाराम पिता मधादीन पाल, सुनील पिता देवीदीन पाल पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	पत्थर पटिया कमरा, कमरा अटारीदार/दुगई खपरैल	306.39	शासकीय चरनोई
103	पुट्टू पिता कल्ला कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	आर.सी.सी, पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल	84.89	शासकीय चरनोई
104	झण्डी पिता कल्ला कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल	65.75	शासकीय चरनोई
105	रामपाल पिता प्रभू कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल	54.00	शासकीय चरनोई
106	बुद्धू पिता आशा कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा खपरैल	17.05	शासकीय चरनोई
107	बिन्नू पति आशा कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल	41.40	शासकीय चरनोई
108	रामकृपाल पिता ठाकुरदीन कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	402	कमरा/दुगई खपरैल, कमरा सीमेंट शीट	145.44	शासकीय चरनोई
109	रामखिलावन पिता लल्लू, लल्लू पिता कल्ला कौंदर पता निवासी ग्रम विश्रामगंज	405	पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल	68.47	शासकीय बंजर

110	भौदू पिता कल्ला कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	405	कमरा/दुगई खपरैल	33.03	शासकीय बंजर
111	शांती बाई बेवा मोती कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	405	कमरा/दुगई खपरैल, कमरा सीमेंट शीट	67.82	शासकीय बंजर
112	सियाराम पिता हरप्रसाद कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	405	कमरा खपरैल	49.53	शासकीय बंजर
113	सुन्दर पिता पक्कू, रमेश, मूरतलाल, राजेन्द्र, राकेश पिता सुन्दर कौंदर	405	कमरा अटारीदार/दुगई खपरैल	144.34	शासकीय बंजर
114	देवीदीन पिता मैयादीन भाल पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	405	कमरा खपरैल	57.50	शासकीय बंजर
115	डाल्लू पिता लच्छू कौंदर	428	आर.सी.सी. पत्थर कमरा दुगई खपरैल	165.21	शासकीय नाला
116	लखन प्रताप पिता यमुना प्रसाद कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	428	कमरा खपरैल	18.80	शासकीय नाला
117	भौरकली बेवा गनपत कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	428	कमरा खपरैल	36.40	शासकीय नाला
118	अर्जुन पिता भूरा कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	428	कमरा खपरैल	23.76	शासकीय नाला
119	शीतल पिता प्रभू कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	428	कमरा/दुगई खपरैल	59.07	शासकीय नाला
120	विजय पिता शीतल कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	428	दुगई खपरैल	27.30	शासकीय नाला
121	अमर प्रसाद पिता जमुना प्रसाद, रजनिया बेवा जमुना प्रसाद कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	27	कमरा खपरैल	84.87	पट्टाई
122	रागकृपाल पिता ठाकुरदीन कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल	87.78	शासकीय रास्ता
123	दयाराम पिता मैयादीन भाल पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा खपरैल	11.84	शासकीय रास्ता
124	ठाकुरदीन पिता प्रभू कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा/दुगई खपरैल	47.23	शासकीय रास्ता
125	छोटेराल पिता बडे कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा/दुगई खपरैल	25.30	शासकीय रास्ता
126	गहाप्रसाद पिता रामऔतार सोनी पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा अटारीदार/दुगई खपरैल	69.89	शासकीय रास्ता
127	नंदकिशोर पिता हरीलाल कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा अटारीदार/दुगई खपरैल	90.35	शासकीय रास्ता

128	भारतलाल पिता हरीलाल कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	352	कमरा/दुगई खपरैल	99.75	शासकीय रास्ता
129	गोरी बाई पति कंधीलाल कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	351	पत्थर पटिया कमरा, कमरा दुगई खपरैल	84.73	शासकीय चरोखर
130	रामकृपाल पिता लच्छू कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	351	कमरा/दुगई खपरैल	78.90	शासकीय चरोखर
131	देवीदीन पिता गुल्ले कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	351	कमरा/दुगई खपरैल	37.26	शासकीय चरोखर
132	मझली पाल बेटा गिल्ला पाल, बाला प्रसाद पिता गिल्ला पाल पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	341	कमरा/दुगई खपरैल	196.23	शासकीय अन्य
133	यमुना प्रसाद पिता लच्छू बसन्ता प्रताप पिता यमुना प्रसाद, रतन कुंगार पिता यमुना प्रसाद, कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	341	कमरा/दुगई खपरैल	82.17	शासकीय अन्य
134	द्वारका पिता विश्वनाथ कौंदर पता निवासी ग्राम विश्रामगंज	10	कमरा/दुगई खपरैल	48.96	शासकीय अन्य
	कुल रकबा			8612.57	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- राज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य में प्रमाणित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के कुल क्षेत्रफल 8612.57 बर्ग मी० पर स्थित 134 मकानों के अर्जन हेतु घास-19 का प्रकाशन, ग्राम विश्रामगंज तहसील एवं अनुभाग अजयगढ़ ।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं मू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-16-11-2019-सात-2

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2019

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के संबंध में मार्गदर्शन

कलेक्टर गुना के संदर्भित पत्र द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रकरणों के मामलों में संहिता के प्रावधानों के संदर्भ में मार्गदर्शन चाहा गया है।

2. उपरोक्त के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि संहिता की धारा 107 की उपधारा (1) में ग्राम का नक्शा और उपधारा (2) में सेक्टर के नक्शे में सम्मिलित किये जाने वाले विभिन्न बिन्दुओं को उपबंधित किया गया है। उपधारा (3) में नक्शे के लिये पैमाना विहित किये जाने का प्रावधान है।

3. जहां तक धारा 107 में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 के पूर्व के प्रावधान का प्रश्न है, उसमें "खेत का नक्शा" का प्रावधान था जिसे संशोधित धारा 107 में परिष्कृत रूप में रखा गया है जिसमें अधिक स्पष्टता लाने के लिये ग्राम या सेक्टर के नक्शे में समाहित किये जाने वाले सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः यह प्रावधान पूर्वानुसार 'नक्शा' से ही संबंधित है। नक्शा और खेत का नक्शा में इस प्रकार कोई विभेद नहीं है।

4. धारा 107 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सर्वेक्षण संख्याओं की सीमाओं को दर्शाने वाला नक्शा तैयार किया जाना अपेक्षित है तथा पूर्व प्रावधान में इसे ही खेत का नक्शा कहा गया था। संशोधित प्रावधान में इसे ग्राम का नक्शा कहा गया है। तैयार किया गया नक्शा ही खेत का नक्शा है और एकजाई स्वरूप में यही ग्राम का नक्शा है।

5. जहां तक धारा 115 में अभिलेख में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि का शुद्धिकरण के प्रावधान का प्रश्न है इसमें सभी भू-अभिलेख, (केवल अधिकार अभिलेख और भू-अधिकार पुस्तिका को छोड़कर) सम्मिलित है और भू-अभिलेख धारा 114 में उल्लेखित है। धारा 114 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में धारा 107 के अधीन तैयार किये गये ग्राम का नक्शा, आबादी का नक्शा तथा ब्लॉक का नक्शा तथा उपधारा (2) के खण्ड (क) में धारा 107 के अधीन तैयार किया सेक्टर व नक्शा सम्मिलित है। इस प्रकार धारा 115 में भू-अभिलेख जिसमें नक्शा भी सम्मिलित है में हुई गलती या अशुद्ध प्रविष्टि के शुद्धिकरण का प्रावधान है।

अतएव उपरोक्त विधिक उपबंधों के अनुसरण में प्रकरणवार परीक्षण किया जाकर सक्षम प्राधिकारी समुचित निर्णय लें।

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

क्रमांक एफ. 12-01/2019/सात/शाखा-2. मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक 20 सन् 1960) की धारा 2 के खण्ड (ड) के उपखण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, तथा इस विभाग (तत्समय भू-सुधार विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 721-346-अट्ठाईस-62, तारीख 19 मार्च 1962 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ.-28-95-76-अट्ठाईस दिनांक 4 दिसम्बर 1976 को अधिकृत करते हुये राज्य सरकार, एतद्वारा आयुक्त भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश को उन धारकों के संबंध में जिनकी भूमि विभिन्न संभागों के एक से अधिक जिलों में स्थित है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2019

एफ-12-01-2019-सात-शा.2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-01-2019-सात-शा.2, दिनांक 6 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

Bhopal, the 6th December 2019

No. F 12-01/2019/VII/Sec.2- In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (e) of section 2 of the Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (No. 20 of 1960), and in supersession of this department's (For the time being Bhoo-Sudhar Department) notification No. 721-346-XXVIII-62, dated the 19th March, 1962 and amendment notifications No. F. 28-95-XXVIII76; dated 4th December, 1976 the State Government in respect of holders whose land is situated in more than one district of different divisions hereby appoints the Commissioner Land Record, Madhya Pradesh to be the competent authority for the purposes of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DINESH KUMAR MAURYA, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्र. 7216-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.न.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	बम्होडी प.ह.नं.-27	0.10	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अपर तिलवारा नहर

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7217-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित की जाने वाली भूमि में पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा-12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	रामखैरी प.ह.नं.-29	2.20	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अपर तिलवारा नहर

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7218-जि.भू-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित की जाने वाली भूमि में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम/ प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	बगहाई प.ह.नं.-26	0.82	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अपर तिलवारा नहर

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7222-जि.भू.-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण		अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	भालीवाडा प.ह.नं.-27	4.43	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अपर तिलवारा नहर

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय, में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7224-जि.भू.-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	में पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सिवनी	धनौरा/धनौरा	आमानाला प.ह.नं.-32	3.32	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 7225-जि.भू.-अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में इसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन	अर्जित की जाने वाली भूमि	
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
सिवनी	धनौरा/धनौरा	घटेरी प.ह.नं.-30	1.12	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7226-जि.भू.अर्जन.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण			भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन	अर्जित की जाने वाली भूमि के
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	में पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिवनी	धनौरा/धनौरा	कुड़डो प.ह.नं.-26	0.38	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी (म. प्र.).
				अपर तिलवारा नहर

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी, जिला-सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भीमगढ़ दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 05 के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7227-जि.भू.अ.-2019.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आवश्यकता की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम/ प.ह.नं./ब.नं.	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	तहसील-छपारा रा.नि.मं.- चमारीखुर्द	ग्राम रामगढ़ ब. नं.-648 प.ह.नं.-30	निजी भूमि 18.34 हे. शासकीय भूमि 3.00 हे. <u>कुल भूमि 21.34</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सिवनी, जिला सिवनी.	रामगढ़ लघु जलाशय सिंचाई योजना के बांध एवं नहर के निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.					
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक-1 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.					
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे.					

सिवनी, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक-7658-भू-अर्जन-2019.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2-ए, भोपाल दिनांक 12 नवंबर 2014 के अनुसार आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति जारी की गयी है. आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के तहत राज्य शासन के जल संसाधन विभाग की पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बखारी शाखा नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निम्नांकित अनुसूची अनुसार खातेदारों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 10 अनुसार खातेदारों द्वारा प्रारूप "ख" में सहमति प्रस्तुत की गयी है, खातेदारों की सहमति अनुसार कंडिका 11(1) के अंतर्गत सर्वसाधारण सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है.

अतः निम्नांकित अनुसूची में दर्शित भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर (अवकाश के दिनों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

राजस्व प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2019-20

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	क्रय करने हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	सिंचित/असिंचित भूमि का विवरण	अन्य परिसंपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सिवनी	सिवनी	दिधोरी प.ह.नं.-13	राजकुमार पिता रामनाथ निवासी ग्राम भूमिस्वामी.	7/1	0.20	सिंचित	निरंक
योग . .					0.20	-	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं समुचित सरकार, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 25 अक्टूबर 2019

क्रमांक-2349-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 1 में दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—रतवाय

तहसील—कनौद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2) निजी भूमि	(3)	(4)	(5)
1.	दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण	0.078	-	0.078
योग . .		0.078	-	0.078

अनुसूची (2)

दतूनी मध्यम परियोजना नहर निर्माण में आने वाली निजी भूमि

स. क्र.	प्रमाणित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रामस्वरूप पिता घासीराम ग्राम रतवाय	293/2	3.24	0.078	-	0.078
योग . .				0.078	-	0.078

देवास, दिनांक 14 नवम्बर 2019

क्रमांक-2531-भू-अर्जन-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदिरा सागर परियोजना अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुँच मार्ग निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	भामर	0.63	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रं. 13, खण्डवा म. प्र.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ग्राम भामर से मगरदी पहुँच मार्ग निर्माण कार्य.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीकान्त पाण्डेय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 1058-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) रायपुर कर्चुलियाण	(3) लोहदवार	(4) 4.600	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा जिला रीवा, (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत क्यौंटी मुख्य नहर की लोहदवार माइनर नहर निर्माण में आने वाले भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्ति का अर्जन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 1060-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है. और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 (1) की धारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) मनकहरी	(4) 0.800	(5) कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, रीवा जिला रीवा, (म. प्र.)	(6) बाणसागर परियोजना के अंतर्गत लौवा वितरक की लौवा सबमाइनर नं. 4 एवं मनकहरी माइनर की सब माइनर नं.-1 में आने वाले भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्ति का अर्जन.

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इंदौर, दिनांक 7 नवम्बर 2019

क्र. 2461-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र.-अ-82-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित रतलाम-खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित "उप विद्युत कर्षण केन्द्र" के कार्य की प्रकृति लोक हित में अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है, इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इंदौर	डॉ. अम्बेडकर नगर महू	नेउगुराडिया	0.892	उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर.	रतलाम-खण्डवा अकोला अमान परिवर्तन प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्युतिकरण में प्रस्तावित "उप विद्युत कर्षण केन्द्र".

नोट:—

- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी डॉ अम्बेडकर नगर महू, जिला इन्दौर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहीत नहीं है.
- प्रस्तावित प्रयोजन लोक प्रयोजन होने से भू-अर्जन के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट प्राप्त है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 13 नवम्बर 2019

प्र. क्रमांक-01-अ-82-2019-20.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग	धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	इकारा	0.98	कार्यपालन यंत्री दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया (म. प्र.).	दतिया जिले के अंतर्गत खटोला लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्टर दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. जामोद, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भीकनगांव, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश

खरगौन, दिनांक 19 अक्टूबर 2019

प्रारूप—घ

(नियम 6 देखिए)

राजस्व प्रकरण क्र. 02-अ-82-19-20.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए ग्राम इगरिया, तहसील भीकनगांव, जिला खरगौन से ग्राम शिवना तहसील झिरन्या, जिला खरगौन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित की गई तथा सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय, के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगौन	भीकनगांव	छिल्ट्या, प.ह.नं. 59	116/4	0.008
			116/3	0.041
			116/2	0.034
			116/1/1/2	0.032
			योग . .	<u>0.115</u>

बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

पत्र क्र. 1116-भू-अर्जन-प्रकाशन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा नहर की मझगवां शाखा नहर सिंचाई योजना की मुख्य नहर, माइनर/सब-माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	बिरसिंहपुर	पटना खुर्द	4.000	कार्यपालन यंत्री, पक्का बांध संभाग, क्रमांक-3 देवलौंद, जिला शहडोल (म. प्र.).	मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय-प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्र. 7223-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—धनौरा
(ग) ग्राम—तिलवारा, प.ह.नं.-40, रा.नि.मं-धनौरा,
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.05 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) निजी भूमि का रकबा

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
38/2	0.05
योग . .	0.05

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 30 अक्टूबर 2019

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 6-अ-82-2018-19-7014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—जयसिंहनगर
(ग) ग्राम—बरकछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—(निजी भूमि) 0.493 हेक्टेर (भूमि एवं परिसम्पत्ति).

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेर में)
(1)	(2)
240/1	0.056
242/1	0.048
244/1	0.050
244/2	0.006
245	0.068
247/1	0.036
248	0.068
249/3	0.020
249/4	0.020
249/5	0.020
251/2	0.061
249/1	0.020
249/2	0.020
योग . .	0.493

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बरकछ-ब्यौहारी मार्ग में झापर नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, रीवा म. प्र. के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंडला, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 2 नवम्बर 2019

क्र. भू-अर्जन-21-(अ-82)-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—लोहटा वनग्राम
(घ) क्षेत्रफल—3.62 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.20
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.20
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.04
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.18
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.18
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.04
कम्पार्टमेंट नं. 1458	0.32
कम्पार्टमेंट नं. 1458	1.10
कम्पार्टमेंट नं. 1458	1.36
योग . . .	3.62

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना बाईं तट अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 1056-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—डीहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.012 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
127/6	0.012
योग . . .	0.012
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
निरंक	निरंक
योग . . .अ + ब	0.012
योग . . .	0.012

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “क्योंटी मुख्य नहर (छूटा रकबा)” में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र. 8632-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-गाजनडोह, प.ह.नं. 6,
ब.नं. 124, रा.नि.मं.-उमरेठ

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—कुल
रकबा 24.017 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर
आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित
खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
1/14	0.280
1/12	0.639
1/38	0.627
1/11	0.831
36	1.457
37/1	0.361
37/2	0.308
37/3	0.433
37/4	0.282
37/5	0.328
34/2	0.667
34/1	0.668
35/2	0.211
35/3	1.214
33/2	0.030
33/1	0.540
24/2	0.558
24/3	0.563
24/1	0.100
24/4	0.130

(1)

(2)

24/5	0.110
24/6	0.258
24/7	0.488
19	0.231
17	0.308
20	0.817
27	0.278
16/4	0.508
16/3	0.453
16/2	0.108
16/1	0.019
15/2	0.260
15/1	0.196
14/12	0.519
14/1	0.610
14/2	0.316
14/3	0.176
14/4	0.381
14/9	0.010
14/10	0.038
14/11	0.060
10	4.501
11	1.404
12	1.741

योग कुल रकबा . . . 24.017 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—गाजनडोह जलाशय के बांध निर्माण की लघु सिंचाई के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.mp.gov.in> एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in/> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-परासिया, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	(1) 403 332/1 332/2	(2) 0.02 0.04 0.03
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.	330 328	0.04 0.01
	योग . .	0.51
शासकीय भूमि		
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.	399 333 329 536	0.01 0.01 0.02 0.02
	योग . .	0.06
	कुल योग . .	0.57

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 4 नवम्बर 2019

क्र.-भू-अर्जन-07(अ-82)2018-19-140.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कोहानीम्य करौंदी रैयत दायी तट मुख्य माइनर, प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.57 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
528	0.10
526	0.01
398	0.16
401	0.05
400	0.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-24(अ-82)2018-19-137.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—देवरी कला सबमाइनर 01, प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.88 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
78	0.02
77	0.04
76/1	0.03
75	0.02

(1)	(2)	(ख) तहसील—शहपुरा	
72	0.01	(ग) ग्राम—मटका रैयत बांयी तट मुख्य माइनर प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.	
114/1	0.03	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.31 हेक्टेयर.	
114/2	0.04		
113/1	0.02		
113/2	0.02	खसरा	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
123	0.01	नम्बर	(हेक्टर में)
122	0.03	(1)	(2)
137	0.02	385	0.09
138	0.02	387	0.02
139	0.02	388	0.03
142	0.04	288	0.07
143	0.03	290	0.19
158/1	0.03	343	0.12
159	0.08	342	0.10
133	0.04	301	0.07
132	0.08	318	0.10
180	0.09	319	0.14
183	0.14	324	0.05
185	0.01	325/2	0.04
योग . .	0.87	327	0.02
शासकीय भूमि		328	0.02
184	0.01	334	0.09
योग . .	0.01	186	0.15
कुल योग . .	0.88	188	0.02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.		187	0.09
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.		185/1	0.04
		47	0.01
		48	0.04
		62	0.08
		67	0.09
		69	0.16
		70	0.02
		118	0.28
		91	0.11
		92	0.29
		93/1	0.05
		93/2	0.05
		94/2	0.03
		96/2	0.27
		97	0.14
		योग . .	3.07
		शासकीय भूमि	
(1) भूमि का वर्णन—		289	0.03
(क) जिला—डिण्डौरी		304	0.05

क्र.-भू-अर्जन-25(अ-82)2018-19-134.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(1)	(2)	(1)	(2)
331	0.03	601/2	0.04
190	0.03	511	0.03
95	0.03	510	0.02
85	0.04	281	0.01
98	0.03	503	0.01
	योग . . . 0.24	513	0.01
	कुल योग . . . 3.31	524/1	0.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-26(अ-82)2018-19-139.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—देवरी कला दांयी तट सबमाइनर क्र. 02 प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.52 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
624	0.02
623	0.05
592	0.02
525	0.02
594	0.03
593/2	0.02
598	0.04
600/2	0.01
601/1	0.03

योग . . . 0.48

शासकीय भूमि

605/1	0.01
517	0.01
519	0.02
योग . . .	0.04
कुल योग . . .	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-27(अ-82)2018-19-131.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

- (ग) ग्राम—सरवाही माल बांयी तट सबमाइनर 04
प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.37 हेक्टेयर.

- (ग) ग्राम—सरवाही माल बांयी तट मुख्य माइनर
प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
198	0.02
199	0.01
202/1	0.01
201	0.01
188	0.01
187	0.02
186	0.02
183/1	0.02
183/3	0.02
179	0.05
172	0.04
514	0.02
512	0.04
509	0.01
योग . .	0.30
शासकीय भूमि	
196	0.05
236	0.01
178	0.01
योग . .	0.07
कुल योग . .	0.37

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
766	0.01
765	0.14
763	0.06
759	0.10
385/1	0.22
385/2	0.02
374	0.05
372	0.08
129	0.17
369/1	0.16
367/1	0.03
365	0.12
363	0.26
362/1	0.02
362/2	0.01
357	0.02
359	0.07
360	0.11
330	0.13
331	0.01
322	0.13
333/1	0.04
333/2	0.02
336	0.08
310/1	0.04
310/2	0.02
311	0.04
307/1	0.02
237/1	0.04
237/2	0.08
238/1	0.02
238/2	0.10
240	0.03
239	0.01
252/1	0.05
252/2	0.05
253	0.03
254	0.10
127	0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-28(अ-82)2018-19-138.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा

(1)	(2)
128/1	0.07
128/2	0.07
140	0.03
130	0.14
116	0.06
115	0.10
113/1	0.06
113/2	0.06
102	0.08
106	0.04
271	0.08
273/1	0.03
274/1	0.05
274/2	0.04
275	0.02
278	0.02
योग . . .	3.70
शासकीय भूमि	
376	0.02
758	0.03
358	0.01
306	0.01
247	0.01
117	0.02
104	0.01
276	0.02
योग . . .	0.13
कुल योग . . .	3.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-29(अ-82)2018-19-128.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार

अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—सरवाही माल बांयो तट सबमाइनर 03 प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
361	0.03
414	0.08
415	0.03
417	0.01
407	0.08
718	0.01
719	0.09
717	0.05
714	0.05
712	0.05
686	0.01
687	0.02
685	0.07
684/1	0.01
683	0.01
673/2	0.04
494	0.02
614	0.08
617	0.08
622	0.02
620	0.04
621	0.04
628	0.03
631/3	0.01
योग . . .	0.96

शासकीय भूमि

364	0.01
416	0.01
715	0.01
713	0.01

(1)	(2)
689	0.01
676	0.01
योग . .	0.06
कुल योग . .	1.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-31(अ-82)2018-19-135.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सरवाही रैयत बांयी तट सबमाईनर क्र. 5 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
228	0.03
216/2	0.05
217	0.11
योग . .	0.19

शासकीय भूमि

0	0.00
योग . .	0.00
कुल योग . .	0.19

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-32(अ-82)2018-19-127.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कोहानीम्य करौंदी रैयत बांयी तट सबमाईनर 01 प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
498/2	0.02
498/3	0.02
499	0.02
योग . .	0.06

शासकीय भूमि

0	0.00
योग . .	0.00
कुल योग . .	0.06

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-33(अ-82)2018-19-133.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है

इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सरवाही माल सबमाईनर क्र. 5,
प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.73 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
161	0.01
159	0.01
153	0.09
154	0.11
526	0.05
552	0.05
525	0.04
553	0.09
152	0.03
148	0.01
149	0.01
528	0.02
529	0.09
530	0.08
549	0.01
योग . . .	0.70
शासकीय भूमि	
144	0.01
160	0.01
150	0.01
योग . . .	0.03
कुल योग . . .	0.73

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-34(अ-82)2018-19-132.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कोहानीम्य करौंदी रैयत दांयी तट सबमाइनर
03, प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.91 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
403	0.03
404	0.03
319	0.04
318	0.05
415	0.04
414	0.05
418	0.04
419	0.07
428	0.05
439/1	0.02
439/2	0.02
438	0.08
461	0.11
462	0.01
478	0.01
477	0.11
476	0.05
115	0.02
116	0.06
योग . . .	0.89

शासकीय भूमि

464	0.01
324	0.01
योग . . .	0.02
कुल योग . . .	0.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-35(अ-82)2018-19-136.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—कोहानीम्य करौंदी माल दांयी तट मुख्य नहर प.ह.नं. 49, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.47 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
308	0.20
309	0.07
312/1, 312/5	0.04
312/2, 312/6	0.04
312/3	0.04
312/4	0.04
306	0.02
297	0.01
296/1	0.03
299	0.03
295	0.03
277	0.03
279	0.06
280/1	0.06
280/2	0.05
281	0.02
282/1	0.02
282/2	0.01
283/1	0.05
46/1	0.01

(1)	(2)
45	0.05
19/1	0.12
16	0.09
15	0.06
14	0.07
13	0.08
8	0.07
योग . .	1.40

शासकीय भूमि

311	0.02
303	0.03
1	0.02
योग . .	0.07
कुल योग . .	1.47

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-36(अ-82)2018-19-129.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सरवाही माल बांयी तट सबमाईनर क्र. 2 प.ह.नं. 19, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
767	0.03
768	0.06
770	0.05

(1)	(2)
771/1	0.01
752	0.02
751/891	0.03
778	0.04
779/1	0.03
779/2	0.03
776	0.01
798	0.07
799	0.03
800	0.03
801/4	0.05
802	0.04
860	0.05
859	0.03
858	0.07
856	0.15
855	0.02
863/2	0.08
849	0.07
868/1	0.03
868/2	0.02
661	0.05
663	0.02
662	0.06
635	0.02
655	0.02
योग . .	<u>1.22</u>
शासकीय भूमि	
804	0.01
758	0.01
योग . .	<u>0.02</u>
कुल योग . .	<u>1.24</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-37(अ-82)2018-19-130.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम सिंचाई परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
(ख) तहसील—शहपुरा
(ग) ग्राम—सारसडोली दांयी तट सबमाइनर 01, प.ह.नं. 22, रा.नि.म. कोहानी देवरी.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.79 हेक्टेयर.

खसरा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
नम्बर (हेक्टर में)

(1)	(2)
165	0.05
164/1	0.01
143/1	0.04
164/2	0.01
143/2	0.04
144	0.02
145	0.02
146	0.03
63/1	0.05
66/1	0.05
65	0.02
68/1	0.04
68/2	0.04
71/1	0.04
74	0.03
75	0.02
76	0.02
79	0.02
81	0.01
35	0.04
83	0.01
84	0.01
36	0.04
26/2	0.02
योग . .	<u>0.68</u>

शासकीय भूमि

170	0.01
166	0.01
142	0.04
147	0.04
27	0.01

योग . . 0.11

कुल योग . . 0.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 नवम्बर 2019

क्र. 11526-भू-अर्जन-2019-अ.वि.अ. मनावर प्रकरण क्रमांक-14-अ-82-2018-19.—चूंकि, शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि/भूमि पर निर्मित भवनों की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/भूमि पर निर्मित भवनों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—गंधवानी

(ग) ग्राम—खोजाकुआ

(घ) क्षेत्रफल—9035.741 वर्गमीटर.

प्रभावित सर्वे क्र.
जिसमें मकान स्थित

मकान का निर्मित
क्षेत्रफल
(वर्गमीटर में)

(1)

(2)

274/3	109.02	290/2/2	80.00
274/2	97.30	290/3/2	97.30
274/1	172.98	290/2/1	40.00
287/2/5	97.88	79/3	38.50
287/2	158.96	20	108.83
281	170.04	20	63.00
284/1	172.18	20	30.00
284/1	180.51	20	82.80
284/1	181.28	20	49.00
284/1	53.02	12/5/1	59.56
284/1	87.31	12/5/1	126.97
284/1	98.52	12/5/3	68.20
284/1	65.25	12/5/1	139.89
268/1	48.88	12/3	106.58
268/1	144.93	12/5/1	13.20
288/1/6/3	94.60	12/4	75.60
288/1/4	140.97	24	160.90
288/1/7	80.00	21/2/3	144.80
288/1/1/2	174.00	21/2/4	117.70
		21/2/2	237.00
		21/1	170.21
		21/1	189.95

(1)	(2)	(1)	(2)
21/1	69.80	257/2/2	324.70
21/1	114.90	26/2	44.10
21/1	98.1	36/2	42.66
12/2/2	47.60	297	112.00
12/2/1	47.60		योग . . . 9035.741
12/2/1	229.25	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बरखेड़ा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.
12/2/1	165.60	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
9/4	189.60		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकांत बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
9/4	70.84		
9/4	61.74		
9/4	61.74		
9/6	70.07		
9/7	181.65		
9/7	78.85		
9/7	107.53		

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन

भीकनगांव, दिनांक 28 नवम्बर 2019

प्रारूप—घ

(नियम 6 देखिए)

राजस्व प्रकरण क्र. 05-अ-82-19-20.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिये ग्राम ईगरिया, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से ग्राम शिवना, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगिता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है. और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित हुई है तथा सक्षम प्राधिकारी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई. अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकारों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	झिरन्या	नेमित, प.ह.नं. 11	170/2	0.146
			169	0.100
			168/1	0.072
			168/2	0.051
			153/2	0.040
			153/3	0.040
			154	0.117
			155	0.108
			156/2	0.099

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			157/1/2	0.068
			157/1/1	0.051
			157/2/1	0.121
			158/1/2	0.300
			68/4, 69/3	0.012
			66/1/2, 68/1	0.040
			62/4/2, 66/2/2, 68/2/2,	0.040
			69/2/2, 70/2/2,	
			62/4/1, 66/2/1, 68/2/1,	0.020
			69/2/1, 70/2/1/1	
			67/1	0.007
			28/1	0.015
			29/1, 29/2, 31/3	0.050
			31/2	0.020
			32/5/1	0.041
			36/2	0.020
			43/1/1	0.020
			43/1/3/1	0.040
			43/1/3/2	0.030
			43/1/3/3	0.051
			45/3, 46/3	0.012
			45/2, 46/2	0.012
			45/46/1	0.012
			योग . .	<u>1.755</u>

प्रारूप—घ
(नियम 6 देखिए)

राजस्व प्रकरण क्र. 07-अ-82-19-20.—अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1661 दिनांक 6 मई 2019 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिये ग्राम नेमित, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन से ग्राम शिवना, तहसील झिरन्या, जिला खरगोन के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगिता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है। और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मई 2019 को प्रकाशित हुई है तथा सक्षम प्राधिकारी तहसील कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकसमागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भू-स्वामी/अधिभोगी को भी दी गई। अतः उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोक्ता के अधिकारों के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	झिरन्या	शिवना प.ह.नं. 17	329/3/6	0.117
			279/2/1	0.055
			471/3 शा. नं. 472/3	0.078
			471/1/1/5	0.075

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			323	0.226
			328/1	0.240
			329/3/1	0.060
			329/3/2	0.057
			329/3/3	0.036
			329/3/4	0.038
			329/3/5	0.038
			334 शा. नं. 335/2	0.058
			336/2	0.0612
			336/1	0.0612
			467/2, 469/2	0.0108
			467, 469/3	0.036
			471/1/1/1, 472/1/1/1	0.045
			525/1/1	0.294
			507/2	0.054
			507/742	0.063
			519/1/1	0.084
			519/1/6	0.0924
			519/1/2	0.018
			521/1	0.080
			525/1/2	0.098
			525/2	0.378
			533/1/3	0.119
			530/1	0.193
			530/2	0.193
			530/3	0.193
			529, 531	0.798
			532/1	1.120
			532/2	0.379
			535/1	0.096
			536/1/4	0.031
			537/1/1	0.051
			549/2	0.078
			471/1/1/4, 472/1/1/4	0.0505
			551, 556	0.105
			553	0.036
			555/2	0.052
			536/1/5	0.055
			536/1/7	0.030
			योग	6.331

बी. एस. सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 नवम्बर 2019

पत्र. क्र. 1098-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—तिघरा
(घ) क्षेत्रफल—1.479 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
86	0.168	-
93	0.080	-
94	0.088	-
103	0.140	-
104	0.032	-
106	0.026	-
107	0.058	-
108	0.097	-
138	0.086	-
139	0.077	-
140	0.054	-
144	0.012	-
145	0.201	-
146	0.088	-
152	0.142	-
153	0.062	-
600	-	0.068
कुल योग . .	1.411	0.068
महायोग . .	1.479	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र. क्र. 1100-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—कुम्हरौला
(घ) क्षेत्रफल—1.202 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
8	0.008	-
12	0.038	-
13	0.006	-
15	0.014	-
17	0.087	-
18	0.016	-
19	0.038	-
21	0.043	-
22	0.127	-
23	0.010	-
24	0.018	-
25	0.061	-
26	0.028	-
27	0.006	-
28	0.008	-
29	0.037	-
37	0.064	-

(1)	(2)	(3)	(ग) ग्राम—मऊ		
38	0.053	-	(घ) क्षेत्रफल—1.435 हेक्टेयर.		
39	0.041	-	खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
41	0.019	-		निजी भूमि	शासकीय भूमि
63	0.008	-	(1)	(2)	(3)
64	0.036	-	25	0.084	-
65	0.016	-	32	0.011	-
77	0.024	-	33	-	0.014
79	0.002	-	34	0.076	-
80	0.121	-	35	0.025	-
81	0.002	-	36	-	0.005
82	0.008	-	37	0.132	-
90	0.095	-	83	-	0.019
93	0.035	-	88	0.139	-
94	0.010	-	89	0.029	-
97	0.026	-	90	-	0.024
24/241	0.024	-	91	0.120	-
37/249	0.051	-	92	0.006	-
64/252	0.022	-	99	0.064	-
कुल योग . .	1.202		100	0.076	-
महायोग . .	1.202		101	0.167	-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.			102	0.045	-
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.			108	0.016	-
			110	-	0.006
			111	0.081	-
			112	-	0.005
			113	0.056	-
			114	0.097	-
			116	-	0.002
			117	0.027	-
			118	0.054	-
			119	0.007	-
			123	0.015	-
			124	0.018	-
			144	0.005	-
			145	0.010	-
			कुल योग . .	1.360	0.075
			महायोग . .	1.435	
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवॉ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
			(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		

पत्र. क्र. 1102-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

पत्र. क्र. 1104-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—बेरहना

(घ) क्षेत्रफल—1.750 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
7	0.058	-
11	0.038	-
13	0.027	-
14	0.027	-
15	0.029	-
42	0.016	-
43	0.045	-
48	0.009	-
49	0.016	-
50	0.089	-
51	0.002	-
53	0.126	-
54	0.026	-
99	0.091	-
100	0.023	-
101	0.042	-
105	0.029	-
106	0.019	-
107	0.007	-
108	0.029	-
109	0.040	-
120	0.025	-
121	0.017	-

(1)	(2)	(3)
122	0.004	-
128	0.065	-
129	0.002	-
130	0.045	-
134	0.045	-
142	0.004	-
143	0.036	-
144	0.070	-
145	0.019	-
146	0.023	-
158	0.014	-
159	0.024	-
166	0.067	-
178	0.024	-
181	0.007	-
182	0.006	-
183	0.034	-
186	0.028	-
188	0.036	-
190	0.011	-
418	0.036	-
419	0.040	-
420	0.053	-
421	0.002	-
422	0.036	-
450	0.020	-
451	0.002	-
452	0.108	-
453	0.002	-
455	0.057	-
कुल योग . . . 1.750		0.000
महायोग . . . 1.750		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1106-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—सेमरा

(घ) क्षेत्रफल—2.319 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
77	0.002	-
78	0.076	-
79	0.027	-
80	0.085	-
81	0.002	-
82	0.142	-
83	0.106	-
84	0.086	-
105	0.004	-
106	0.102	-
108	0.019	-
111	0.059	-
121	0.010	-
122	0.243	-
123	0.046	-
134	0.199	-
135	0.012	-
138	0.014	-
139	0.010	-
173	0.115	-
183	0.106	-
281	0.008	-
282	0.065	-
283	0.018	-
284	0.002	-
286	0.007	-
287	0.067	-

(1)	(2)	(3)
288	0.089	-
291	0.004	-
294	0.049	-
295	0.066	-
296	0.061	-
297	0.034	-
298	0.019	-
309	0.038	-
310	0.038	-
315	0.004	-
317	0.043	-
318	0.026	-
319	0.005	-
329	0.038	-
332	-	0.014
334	0.002	-
335	0.053	-
336	0.041	-
337	0.019	-
338	0.002	-
339	0.032	-
342	0.010	-
कुल योग	2.305	0.014
महायोग		2.319

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1108-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—बम्हौरी		(1)	(2)	(3)	
(घ) क्षेत्रफल—4.297 हेक्टेयर.		296	0.113	-	
खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	298	0.025	-	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि	299	0.002	-
(1)	(2)	(3)	323	0.010	-
2	0.088	-	325	0.003	-
3	-	0.007	326	0.006	-
19	0.028	-	327	0.003	-
20	0.052	-	331	0.016	-
21	0.026	-	494	0.146	-
22	0.130	-	495	0.007	-
29	0.089	-	501	0.045	-
30	0.106	-	502	0.059	-
35	0.006	-	505	0.040	-
36	0.090	-	506	0.051	-
37	0.168	-	510	0.008	-
38	0.132	-	511	0.094	-
39	0.040	-	512	0.003	-
40	0.014	-	513	0.032	-
43	0.036	-	514	0.064	-
44	0.024	-	515	0.003	-
47	0.013	-	521	0.060	-
141	0.055	-	527	0.016	-
142	0.025	-	528	0.020	-
144	0.007	-	695	0.074	-
145	0.024	-	696	0.067	-
146	0.002	-	697	0.053	-
147	0.048	-	709	0.034	-
148	0.003	-	710	0.053	-
149	0.053	-	716	0.034	-
170	0.004	-	717	0.034	-
172	0.055	-	719	0.030	-
173	0.007	-	720	0.005	-
174	0.036	-	721	0.026	-
175	0.045	-	723	0.005	-
176	0.045	-	724	0.030	-
177	0.029	-	725	0.023	-
178	0.006	-	726	0.006	-
269	0.026	-	727	0.024	-
270	0.019	-	805	0.055	-
271	0.022	-	806	0.122	-
272	0.003	-	807	0.118	-
293	0.022	-	811	0.012	-
294	0.042	-	812	0.002	-
295	0.065	-	814	0.061	-

(1)	(2)	(3)
815	0.085	-
860	0.045	-
862	0.058	-
863	0.074	-
866	0.055	-
867	0.023	-
869	0.004	-
870	0.031	-
871	0.019	-
872	0.026	-
873	0.002	-
874	0.012	-
882	0.006	-
883	0.059	-
884	0.031	-
975	0.031	-
977	0.061	-
981	0.006	-
982	0.038	-
983	0.023	-
984	0.045	-
986	0.006	-
987	0.023	-
1006	0.007	-
1014	0.008	-
1015	0.063	-
1017	0.070	-
कुल योग . .	4.290	0.007
महायोग . .	4.297	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवों शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1110-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा,

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सेमरिया
(ग) ग्राम—गेरूआर
(घ) क्षेत्रफल—2.835 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
249	0.272	-
251	0.278	-
252	0.269	-
253	0.265	-
255	0.120	-
256	0.110	-
257	0.071	-
265	0.096	-
266	0.434	-
269	0.512	-
271	0.134	-
272	0.154	-
305	0.120	-
कुल योग . .	2.835	0.000
महायोग . .	2.835	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवों शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1112-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित

सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—पटना खुर्द
(घ) क्षेत्रफल—1.566 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
380	0.016	-
381	0.040	-
384	0.072	-
385	0.024	-
387	0.036	-
388	0.104	-
391	0.016	-
392	0.280	-
395	0.410	-
408	0.096	-
409	0.080	-
416	0.088	-
417	0.023	-
419	0.154	-
420	0.038	-
422	0.053	-
429	-	0.034
464	0.002	-
कुल योग . .	1.532	0.034
महायोग . .		1.566

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1114-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—दुनाव
(घ) क्षेत्रफल—1.054 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
54	0.240	-
55	0.020	-
59	0.132	-
65	0.236	-
66	0.058	-
68	0.001	-
69	0.188	-
70	0.031	-
74	0.148	-
कुल योग . .	1.054	0.000
महायोग . .		1.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1134-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—गोरसरी		(1)	(2)	(3)	
(घ) क्षेत्रफल लगभग—3.579 हेक्टेयर.		344	0.013	-	
खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)		345	0.040	-
	निजी भूमि	शासकीय भूमि	448	0.014	-
(1)	(2)	(3)	449	0.040	-
23	0.051	-	451	0.006	-
24	0.064	-	458	0.004	-
26	0.122	-	459	0.010	-
36	0.042	-	460	0.022	-
37	0.122	-	461	0.013	-
38	0.080	-	462	0.002	-
35	-	0.013	464	0.007	-
48	0.067	-	466	0.006	-
49	0.041	-	543	-	0.062
52	0.144	-	545	0.014	-
54	0.163	-	546	0.045	-
55	0.031	-	547	0.003	-
85	0.024	-	548	0.010	-
87	0.091	-	550	0.048	-
88	-	0.032	551	0.018	-
89	0.077	-	552	0.069	-
90	0.058	-	553	0.018	-
91	0.038	-	554	0.037	-
134	0.175	-	555	0.001	-
135	0.115	-	556	0.012	-
148	0.010	-	557	0.008	-
168	0.096	-	558	0.040	-
171	0.026	-	559	0.002	-
172	0.026	-	कुल योग . .	3.462	0.117
177	0.096	-	महायोग . .	3.579	
179	0.138	-	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता		
180	0.128	-	है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा		
190	0.005	-	नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं		
191	0.256	-	उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.		
192	0.085	-	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन		
234	0.255	-	एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में		
235	0.098	-	किया जा सकता है.		
236	0.066	-			
237	0.002	-			
238	0.006	-			
253	0.015	-			
340	-	0.010			
341	0.005	-			
342	0.094	-			
343	0.048	-			

पत्र क्र. 1136-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके

द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—बरा
(घ) लगभगक्षेत्रफल—3.584 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
187	0.176	-
198	0.043	-
199	0.038	-
200	0.019	-
201	0.048	-
204	0.236	-
205	0.130	-
207	0.016	-
210	0.048	-
211	0.082	-
275	0.144	-
276	0.120	-
418	-	0.064
663	0.102	-
670	0.778	-
671	0.035	-
680	0.012	-
681	0.361	-
682	0.028	-
690	0.019	-
694	0.520	-
695	0.016	-
731	0.003	-
732	0.015	-
733	0.086	-
734	0.141	-
708/810	0.304	-
कुल योग . .	3.520	0.064
महायोग . .	3.584	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवॉ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1138-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—बरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.834 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
139	0.026	-
140/1क	0.088	-
140/2	0.068	-
143	0.388	-
144	1.152	-
146	0.078	-
147	0.080	-
148	0.088	-
149	0.176	-
161/2	0.058	-
182/1	0.002	-
184	0.016	-
214	0.094	-
215	0.026	-
216	-	0.149
217	-	0.005
221	0.256	-
223	0.006	-
224	-	0.181
225	-	0.013
267	0.160	-
270	0.346	-
709	0.101	-
710	0.149	-
718	0.082	-
719	0.160	-
720	0.002	-
721	0.077	-
726	0.008	-
727	0.010	-

(1)	(2)	(3)
740	0.103	-
742	-	0.010
745	0.139	-
747	0.096	-
754	0.232	-
756	0.010	-
757	0.016	-
759	0.082	-
760	0.101	-
कुल योग . .	4.476	0.358
महायोग . .	4.834	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1140-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—बिरसिंहपुर
- (ग) ग्राम—देवरावर
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.551 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
139	0.250	-
148	0.019	-
150	0.282	-
कुल योग . .	0.551	0.000
महायोग . .	0.551	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1142-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—बिरसिंहपुर
- (ग) ग्राम—पिपरहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.348 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
46	0.060	-
47	-	0.042
72/243	-	0.019
143	0.012	-
144	0.092	-
147	0.098	-
148	-	0.025
कुल योग . .	0.262	0.086
महायोग . .		0.348

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

	(1)	(2)	(3)
पत्र क्र. 1144-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	716	0.192	-
	717	0.005	-
	733	0.050	-
	735	0.038	-
	736	0.034	-
	739	0.079	-
	740	0.046	-
	741	0.006	-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—बांधी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.992 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

	अर्जित रकबा (हे. में)			
	निजी भूमि	शासकीय भूमि		
(1)	(2)	(3)		
327	0.057	-	1172	0.008
342	0.192	-	1173	0.089
343	0.144	-	1174	0.101
344	0.005	-	1175	0.034
363	0.006	-	1176	0.037
364	0.032	-	1177	0.052
366	0.079	-	1180	0.038
409	0.036	-	1181	0.016
451	0.079	-	1182	0.002
459	0.010	-	1231	0.064
477	0.016	-	1232	0.002
478	0.014	-	1233	0.037
482	0.088	-	1234	0.006
487	-	0.008	1241	0.137
488	0.010	-	1242	0.004
489	0.197	-	1243	0.001
671	0.034	-	1245	0.056
673	0.005	-	1246	0.008
674	0.008	-	1247	0.016
675	0.065	-	1248	0.002
679	0.010	-	1288	0.040
680	0.096	-	1289	0.098
689	0.022	-	1290	0.034
692	0.049	-	1291	0.025
693	0.031	-	1300	0.007
695	0.004	-	1301	0.032
710	0.017	-	1302	0.084
711	0.053	-	1303	0.072
			1304	0.066
			1307	0.019

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1308	0.034	-	156	0.064	-
1309	0.043	-	157	0.064	-
1311	0.016	-	158	0.082	-
1312	0.064	-	159	0.019	-
1113	0.096	-	164	0.064	-
1289/1458	0.007	-	165	0.085	-
कुल योग . .	3.984	0.008	166	0.045	-
	महायोग . .	3.992	174	0.032	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1146-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम—मौदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.985 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
3	-	0.024
4	0.202	-
9	0.017	-
11	0.002	-
12	0.104	-
13	0.076	-
15	0.004	-
16	0.096	-
17	0.100	-
18	0.088	-
21	0.176	-
153	0.042	-

175	-	0.012
176	0.188	-
178	0.240	-
196	0.120	-
197	0.112	-
198	0.005	-
199	0.160	-
200	0.001	-
202	0.094	-
203	0.082	-
204	0.033	-
288	0.108	-
289	0.088	-
296	0.184	-
301	0.002	-
302	0.112	-
304	0.005	-
305	0.144	-
319	0.054	-
325	0.016	-
326	0.096	-
327	0.112	-
341	0.082	-
521	0.196	-
522	0.054	-
523	0.003	-
527	0.032	-
528	0.064	-
529	0.152	-
535	-	0.048
कुल योग . .	3.901	0.084
	महायोग . .	3.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1148-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—गडूरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.138 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(1)	(2)	(3)
20	0.082	-
47	0.046	-
49	0.065	-
50	-	0.016
72	-	0.022
73	0.085	-
74	0.056	-
75	0.002	-
76	0.185	-
77	0.036	-
78	0.054	-
80	0.016	-
81	0.003	-
82	0.035	-
83	0.073	-
84	0.005	-
85	0.025	-
86	0.007	-
88	0.096	-
91	0.004	-
125	0.003	-
127	0.002	-
129	0.121	-
130	0.085	-
131	0.014	-
कुल योग . .	1.100	0.038
महायोग . .		1.138

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1150-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम—पगार कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.440 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
(1)	(2)	(3)
540	0.027	-
543	0.082	-
546	0.046	-
547	0.067	-
1040	0.002	-
1055	0.048	-
1056	0.095	-
1057	0.026	-
1178	0.047	-
कुल योग . .	0.440	0.000
महायोग . .	0.440	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवाँ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1152-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर

स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

			(1)	(2)	(3)
अनुसूची			2099	0.208	-
(1) भूमि का वर्णन-			2106/2	0.060	-
(क) जिला—सतना			2106/3	0.060	-
(ख) तहसील—बिरसिंहपुर			2106/4	0.060	-
(ग) ग्राम—नयागांव			2107	0.066	-
(घ) क्षेत्रफल लगभग—9.206 हेक्टेयर.			2108	0.009	-
खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)		2109	0.161	-
			2110	0.097	-
	निजी भूमि	शासकीय भूमि	2115	0.240	-
(1)	(2)	(3)	2118	0.030	-
1195	0.016	-	2119	0.113	-
1196	0.016	-	2120	0.030	-
1197	0.053	-	2131	0.017	-
1198	0.012	-	2132	0.009	-
1200	0.021	-	2133	-	0.016
1493	0.152	-	2134	0.013	-
1495	0.029	-	2185	0.038	-
1496	-	0.012	2186	-	0.007
1497	0.047	-	2189	0.077	-
1498	0.021	-	2190	0.074	-
1889	-	0.010	2224	0.149	-
1917	0.185	-	2225	-	0.028
1919	0.149	-	2236	0.137	-
1930	0.045	-	2237	0.011	-
1931	0.086	-	2238	0.128	-
1934	0.077	-	2239	-	0.002
1935	0.048	-	2245	-	0.005
1941	0.008	-	2246	0.266	-
1942	0.013	-	2247	0.045	-
2014	0.022	-	2248	0.005	-
2015	0.025	-	2331	0.155	-
2017	0.026	-	2332	0.015	-
2026	0.184	-	2333	0.168	-
2027	0.077	-	2343	0.004	-
2028	0.064	-	2344	0.013	-
2029	0.081	-	2345	0.0243	-
2030	0.024	-	2346	0.136	-
2032	0.112	-	2353	0.113	-
2033	0.053	-	2354	0.012	-
2034	0.005	-	2355	0.004	-
2035	0.085	-	2359	0.109	-
2036	0.077	-	2360	0.048	-
2037	0.173	-	2365	0.167	-
2095	0.109	-	2366	0.028	-

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2383	0.004	-	3468	0.036	-
2384	0.077	-	3469	-	0.036
2385	0.115	-	3470	0.041	-
2404	0.056	-	3471	0.005	-
2405	0.084	-	3475	0.055	-
2413	-	0.096	3476	0.004	-
2414	-	0.048	3477	0.065	-
2419	0.002	-	3479	0.024	-
2420	0.092	-	3487	0.044	-
2421	0.056	-	3522	0.024	-
2423	0.134	-	3526	0.004	-
2424	0.014	-	3527	0.014	-
2465	0.001	-	3528	0.016	-
2466	0.067	-	3529	0.034	-
2467	-	0.012	3530	0.034	-
2468	0.022	-	3531	0.023	-
2469	0.027	-	3532	0.074	-
2503	-	0.079	3533	0.010	-
2508	0.002	-	3534	0.058	-
2565	0.264	-	3536	0.017	-
3133	-	0.043	3555	0.098	-
3134	0.010	-	3562	0.012	-
3136	0.010	-	3563	-	0.032
3137	0.032	-	3564	0.074	-
3138	0.035	-	3565	0.089	-
3140	0.042	-	3569	0.006	-
3147	0.119	-	3570	0.022	-
3222	0.035	-	3572	-	0.014
3225	0.044	-	3573	0.070	-
3226	0.053	-	3574	0.017	-
3227	0.001	-	3575	0.198	-
3231	0.002	-	3576	0.010	-
3232	0.006	-	3580	0.001	-
3233	0.002	-	3608/2	0.200	-
3424	0.002	-	3712	0.113	-
3425	0.001	-	3714	0.105	-
3426	0.018	-	3715	0.010	-
3429	0.006	-	कुल योग . .	8.762	0.444
3435	0.016	-	महायोग . .		9.206
3436	0.120	-			
3440	0.079	-			
3441	0.072	-			
3462	0.010	-			
3466	-	0.004			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "मझगवों शाखा नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1154-भू-अर्जन-प्रकाशन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) ग्राम—खम्हरिया नेवाजी

(घ) क्षेत्रफल—5.935 हेक्टेयर

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
21	0.365	-
24	0.176	-
25	0.196	-
34	0.178	-
36	0.244	-
37	0.026	-
39	0.051	-
41	0.032	-
43	0.045	-
44	0.170	-
46	0.142	-
47	0.120	-
69	0.065	-
70	0.077	-
106	0.002	-
107	0.234	-
108	0.045	-
109	0.014	-
109/472	-	0.011
114/3	0.090	-
114/4	0.045	-
114/5/क	0.045	-
114/5/ख	0.045	-
114/6	0.045	-
114/क/1/ड	0.026	-
114/1/क/2	0.032	-
114/1/ख	0.134	-
114/1/ग	0.061	-
114/1/ड	0.149	-
114/2/क	0.038	-
114/2/ख	0.032	-
163	0.014	-
164	0.025	-

165	0.016	-
166	0.018	-
167	0.223	-
168	0.010	-
208	0.118	-
209	0.019	-
213	0.026	-
214	0.045	-
215	0.011	-
221	0.077	-
222	0.070	-
223	0.013	-
224	0.108	-
225	0.085	-
228	0.054	-
231	0.183	-
232	0.016	-
250	0.002	-
251	0.260	-
252	0.026	-
255	0.061	-
256	0.045	-
260	0.171	-
261	0.296	-
262	0.013	-
263	0.033	-
269	0.019	-
271	0.224	-
272	0.002	-
433	0.032	-
434	0.221	-
435	0.093	-
449	0.048	-
452	0.043	-
453	0.006	-
454	0.120	-
458	0.077	-
459	0.077	-
कुल योग . .	5.924	0.011
महायोग . .		5.935

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “मझगवॉ शाखा नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.